न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत.(6ए)संख्या 31/26 वर्ष 2026

GCMS NO :—2026/129

बउनवानीः—सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी सवाई माधोपुर

बनाम

श्री लटूर मीना पुत्र श्री कन्हैयालाल मीना नि0 बाडोलास हाल नि0 सेलू का टापरा रणथम्भोर रोड़ सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

उपस्थित :— श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन अधिकारी) पैरोकार, रसद

श्री श्रीदास सिंह राजावत वकील अप्रार्थी

—: निर्णय :— दिनांक 20.5.2026

प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा द्वारा दिनांक 30.3.2026 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 25.3.2026 को खाद्य विभाग राज0 जयपुर के आदेशो की पालना में जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में प्रहलाद मीना प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर व ज्योति शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक चौथ का बरवाडा जॉच हेतु अमन एन्टर प्राईजेज विज्ञान नगर रणथम्भोर रोड सवाईमाधोपुर के भण्डारण स्थल पहुँचे। मौके पर 29 व्यवसायिक गैस सलेण्डर का अवैध भण्डारण पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये एवं जब्त 29 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात् बहस पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी सुनी गयी।

पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रवर्तन सवाईमाधोपुर की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 30.3.2026 को अन्तर्गत धारा 6 (ऐ) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व मे बहमराह प्रहलाद मीना प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर व ज्योति शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक चौथ का बरवाडा, द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना में एलपीजी गैस के अवैध दुरूपयोग की जॉच हेतु दिनांक 25.3.2026 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स अमन एन्टरप्राईजेज विज्ञान नगर रणथम्भोर रोड के भण्डारण स्थल पर पहुँचे। मौके पर श्री लटूर मीना पुत्र कन्हैयालाल मीना निवासी बाडोलास उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में जॉच की गयी। श्री लटूर मीना ने बताया कि अमन एन्टर प्राईजेज (सुपर गैस वितरक) का प्रोपराईटर है। श्री लटूर मीना से फर्म के दस्तावेज मांगने पर उनके द्वारा विस्फोटक लाईसेंस (PESO No.G/NJ/RJ/06/594(G62537) की प्रति पेश की गयी जिसमे फर्म के व्यवसाय का पता ख0न0 558 प्लॉट संख्या 18 व 19 ग्राम खटूपुरा दर्ज है, लेकिन जिस भण्डारण स्थल पर गैस सलेण्डर का स्टॉक पाया गया वह विस्फोटक विभाग के लाईसेंस मे दर्ज नही था अर्थात उक्त भण्डार विस्फोटक लाईसेंस मे दर्ज स्थान पर नही होकर उक्त गैस सलेण्डर का भण्डार अनाधिकृत मकान/गोदाम पर किया जाना पाया गया है इसके सुपर गैस के ग्राहको द्वारा शिकायते की जा रही थी कि अमन एन्टरप्राईज द्वारा 3000 से 3500 रूपये तक प्रति सलेण्डर कीमत वसूली जा रही है। सुपर गैस की ओर से अमन एन्टर प्राईजेज के लिए जारी इनवाईस नम्बर 92311043098 दिनांक 24.3.2026 मे 50 गैस सलेण्डर्स की कीमत 150450.50/—रू दर्ज है जो 3009/—रू प्रति सलेण्डर होती है जबकि दिनांक 21.3.3026 जो जारी इनवाईस नम्बर 92310443081 मे 40 सलेण्डर की कीमत 92276.44 रूपये दर्ज है जो 2308.9 रूपये प्रति सलेण्डर होती है। इससे पूर्व दिनांक 11.3.2026 को जारी इनवाईस नम्बर 9231043024 के प्रति सलेण्डर की कीमत 1565.81/—रूपये होती है। इस प्रकार सुपर गैस कम्पनी द्वारा 14 दिन मे प्रति सलेण्डर 1443.19/—रू कीमत बढायी गयी है जो अतार्किक है ओर मुनाफाखोरी को इंगित करता है तथा मौके पर कोई अग्निशाम यंत्र नही मिला। इस प्रकार फर्म द्वारा 29 गैस सलेण्डर का अनाधिकत और असुरक्षित भण्डारण करके आमजन की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया गया है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये 29 व्यवसायिक गैस सलेण्डर को जब्त कर दुरूपयोग रोकने की दृष्टि से कब्जेराज लिया गया एवं जब्त किये गये सलेण्डर का निम्नानुसार निरीक्षण पर्चा,फर्द अभिग्रहण,व सुपुर्दगीनामा, मौके पर तैयार कर मैसर्स रघुनन्दन पुत्र हरिप्रसाद शर्मा निवासी बजरिया सवाईमाधोपुर हाला डिलीवरी मैन रणम्भोर गैस सर्विस (एचपीसीएच गैस ऐजेन्सी) सवाईमाधोपुर को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुदर्गी मे दिये गये है।

(कान्ता राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(मुत. 6ए संख्या 31/2026 सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी बनाम लटूर)

मौके पर से निम्न विवरणानुसार गैस सिलेन्डर जब्त किये गये है।

क.सं.	कम्पनी का नाम	एस.आर.नं.	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार किग्रा	खाली सिलेण्डर का वजन किग्रा	मौके पर वजन किये गये सिलेण्डर का भार किग्रा	शुद्ध गैस वजन किग्रा
1	SUPER GAS	035888	17.0	18.1	35.1	17.0
2	SUPER GAS	8294T	17.0	17.6	34.7	17.1
3	SUPER GAS	047894	17.0	16.9	34.0	17.1
4	SUPER GAS	4778	17.0	17.7	34.9	17.2
5	SUPER GAS	955484	17.0	17.7	34.8	17.1
6	SUPER GAS	033732	17.0	18.2	35.3	17.1
7	SUPER GAS	014711-S	17.0	18.2	35.2	17.0
8	SUPER GAS	036723	17.0	18.1	35.1	17.0
9	SUPER GAS	059249	17.0	17.4	34.5	17.1
10	SUPER GAS	12206	17.0	18.1	35.1	17.0
11	SUPER GAS	5/10-23	17.0	17.6	34.6	17.0
12	SUPER GAS	034142	17.0	18.1	35.1	17.0
13	SUPER GAS	0777-S	17.0	17.9	34.9	17.0
14	SUPER GAS	19223	17.0	18.5	35.5	17.0
15	SUPER GAS	0078	17.0	17.7	34.7	17.0
16	SUPER GAS	05867	17.0	17.5	34.5	17.0
17	SUPER GAS	7029	17.0	17.8	34.8	17.0
18	SUPER GAS	40/12.23	17.0	18.0	35.0	17.0
19	SUPER GAS	013867	17.0	18.0	35.0	17.0
20	SUPER GAS	059399	17.0	17.8	34.8	17.0
21	SUPER GAS	6767	17.0	17.8	34.8	17.0
22	SUPER GAS	068855	17.0	18.6	35.6	17.0
23	SUPER GAS	105868	17.0	17.7	34.7	17.0
24	SUPER GAS	035248	17.0	18.1	35.1	17.0
25	SUPER GAS	59455	17.0	17.7	34.7	17.0
26	SUPER GAS	56871	17.0	17.5	34.5	17.0
27	SUPER GAS	36256	17.0	18.2	35.2	17.0
28	SUPER GAS	013350	17.0	18.1	35.1	17.0
29	SUPER GAS	1-10/723	17.0	17.7	34.7	17.0
	कुल गैस भार किलोग्राम					**493.7**

अप्रार्थी का उक्त कार्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः प्रस्तुत 6 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 29 व्यवसायिक गैस सलेण्डर को राजसात किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर दौराने बहस कथन किया कि जॉच दल द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व गलत तरीके से नियम विरूद्व यह प्रकरण बनाया गया है। प्रार्थी सुपर गैस का जिले का डिस्ट्रीब्यूटर है जो अमन एन्टरप्राईजेज के नाम से गैस वितरण कम्पनी का संचालन करता है। अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार व्यवसायिक गैस सलेण्डर का वितरण कम्पनी द्वारा तय राशि पर किया जाता है अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार भण्डारण लाईसेस, विस्फोटक लाईसेंन्स जारी करवा रखे है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 24.3.2026 को 50 सलेण्डर की गाडी कम्पनी द्वारा अप्रार्थी को सवाईमाधोपुर भेजी गयी थी जो दिनांक 24.3.2026 को रात 10.30 बजें सवाई माधोपुर पहुॅची इसी दौरान अप्रार्थी के गैस गोदाम से एक किलोमीटर दूर पर सिलेण्डर से भरी हुई गाडी के अगले पहिऐ का बेरिंग टूट गया जिसके कारण गाडी वही पर खडी हो गयी तथा सलेण्डर भण्डारण स्थल तक नही पहुॅच पाये। गाडी के चालक द्वारा अप्रार्थी को गाडी के बैरिंग टूटने की सूचना दी

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

गयी तो जवाबदाता ने ड्राईवर से कहा कि अभी सलेण्डर उतारने वाले मजदूर नही मिलेगें सुबह जल्दी गाडी को खाली करवा देगें। अप्रार्थी सुबह मजदूर लेकर एक अन्य लोडिंग गाडी जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे–25–जीए–3050 लेकर मौके पर पहूँचा तथा 21 सलेण्डर उक्त खराब वाहन मे से उतार कर इस वाहन मे रख लिये तथा उनको गोदाम पर पहुँचा दिया किन्तु इसी दौरान जब अप्रार्थी गोदाम पर सलेण्डर खाली करके आया तथा बाकी 29 सलेण्डर को सुरक्षित स्थान पर भण्डारन स्थल पर पहुँचाने के लिए लोडिंग करवा रहा था उसी दौरान श्रीमान रसद अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँच गये तथा अप्रार्थी के 29 गैस सलेण्डरो गलत तरीके से जब्त कर लिये जबकि अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सलेण्डर का भण्डारण लाईसेंस वाले स्थान पर किया जा रहा था तथा कम्पनी द्वारा समय समय पर तय की गयी दरो के अनुसार ही गैस का वितरण किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा किसी तरीके की कोई कालाबाजारी नही की जाती है तथा ना ही बढी हुई रेट पर सलेण्डर बेचे जाते है। रसद अधिकारी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे ज्यादा रेट सिलेण्डर बेचने वाले तथ्य गलत दर्ज किये गये है तथा अप्रार्थी के विरूद्ध अधिक रेट पर सलेण्डर बैचने की किसी भी ग्राहक द्वारा कोई शिकायत नही है तथा अपने भण्डारण स्थल पर नियमानुसार अग्निशमन यन्त्र व रेत की बाल्टियॉ की व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखी है। अतः प्रार्थी के जब्त किये गये 29 गैस सलेण्डर अप्रार्थी की सुपुर्दगी मे दिये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया।

पैरोकार रसद को सुनने एवं संबंधित पत्रावली मे उपलब्ध जवाब का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अप्रार्थी की फर्म से प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 25.3.2026 को जॉच के दौरान जब्त किये गये 29 व्यवसायिक गैस सलेण्डर को अनाधिकृत मकान/गोदाम मे रखने की कोई विधिक स्वीकृति एवं उचित कारण नही बताया गया है। अप्रार्थी की फर्म का रजिस्टर्ड गोदाम, विस्फोटक लाईसेंस (PESO No. G/NJ/RJ/06/594 (G62537) के अनुसार ख0न0 558 प्लॉट संख्या 18 व 19 ग्राम खटुपुरा है, लेकिन जिस भण्डारण स्थल पर गैस सलेण्डर का स्टॉक पाया गया वह विस्फोटक विभाग के लाईसेंस मे दर्ज नही था अर्थात उक्त जब्त किये गये गैस सलेण्डर का भण्डार विस्फोटक लाईसेंस मे दर्ज स्थान पर नही होकर अनाधिकृत मकान/गोदाम पर किया जाना पाया जाने पर अप्रार्थी के गैस सलेण्डर जब्त किये जाने की कार्यवाही विधिसम्मत है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रति सलेण्डर अधिक कीमत वसूलने बाबत किये गये कथन के समर्थन मे पैराकार रसद द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये है जबकि अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजो के अनुसार उक्त गैस सलेण्डर की कीमत कम्पनी द्वारा बढायी जाने की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी पर गैस सलेण्डर की अधिक कीमत वसूलने बाबत लगाया गया आरोप प्रमाणित नही होता है। परन्तु अवैध स्थान पर गैस सलेण्डर के भण्डारण किये जाने की पुष्टि पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेज से हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के जब्त किये गये 29 गैस सलेण्डर की जब्ति कार्यवाही विधिसम्मत होने से प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर प्रस्तुत 6 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 29 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 29 गैस सलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.5.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner